ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 63-65

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत घरेलू कामगार महिलाओं की समस्या एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

1. अंजनी
2. प्रो0 सुभी धुसिया

1. शोध अध्येत्री, 2. प्रोफेसर– समाजशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपूर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ0प्र0) भारत

Received-08.10.2023, Revised-15.10.2023, Accepted-20.10.2023 E-mail: aaryvart2013@gmail.com

सारांशः इस आधुनिक दौर में श्रम प्रतिभा का ऐसा कोई क्षेत्र नही हैं जहां महिला अपनी कुशलत एंव वृद्धि क्षमता में पुरूषों से कम हैं। इसलिए एक देश की प्रगति में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होता हैं। भारत में अधिकांश महिलाएं कार्यरत हैं जो कुल आबादी का लगभाग आधा हिस्सा हैं। पिछले कुछ दशकों में कामकाजी महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई हैं। आमतौर पर असंगठित कामगारों में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की हैं।

महिला श्रम शक्ति का 96 फीसदी असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं, लेकिन उनकी मजदूरी और अन्य सुविधाओं में बहुत भेदभाव किया जाता हैं। पुरूषों की तुलना में उन्हें आज भी कम मजदूरी दी जाती हैं। सच तो यह हैं कि कामगार महिलाओं की पहचान हमेशा चुनौतीपूर्ण रही हैं। उनके साथ लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक भेदभाव तथा यौन उत्पीड़न जैसे अनेक समस्याओं का हर स्तर पर सामना करना पड़ता हैं। प्रस्तुत शोध पत्र असंगठित क्षेत्र में कार्यरत घरेलू महिलाओं की समस्या पर केंन्द्रित हैं, किन्तु इन श्रमिकों को समाज द्वारा आसानी से शोषण किया जाता हैं और उनका कार्य स्थायी प्रकृति का नही होता हैं।

कुंजीभूत शब्द– असंगठित क्षेत्र, घरेलू कामगार, महिलाओं, रोजगार, शोषण, मजदूरी, आबादी, कामकाजी महिलाओं, कामगारों।

भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र से निर्मित रोजगाार में कामगारों की बहुत अधिक संख्या मजदूर के रूप में कार्यरत हैं। असंगठित क्षेत्र एक ऐसा सेक्टर होता हैं। जिसमें सरकार के द्वारा श्रमिकों को श्रम के लिए कोई भी पंजीकरण नहीं करवाया जाता हैं और कार्यरत कामगारों को रोजगाार करने के लिए कोई शर्त भी नहीं होता हैं। इस क्षेत्र में कामगाारों को शीघ्रता से रोजगाार प्राप्त हो जाता हैं। जिसमें महिलाओं का एक बड़ा भाग उद्यमी के रूप में कार्यरत हैं।

"भारत के महापंजीयक एंव 2011 की जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, भारत में महिला कार्मिकों की कुल संख्या 14.98 करोड़ हैं और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में महिल श्रमिकों की संख्या क्रमशः 12.18 करोड़ तथा 2.8 करोड़ है। कुल 14.98 करोड़ महिला श्रमिकों में से 3.59 करोड़ महिलाएं खेतिहर मजदूर, जबकि 6.15 करोड़ कृषक तथा शेष महिला श्रमिक में से 85 लाख महिलाएं घरेलू उद्योगों और 4.38 करोड़ अन्य श्रमिक के रूप में वगीकृत हैं।"

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के रोजगारों को चार भागों में वगीकृत किया गया हैं।

1. पेशा के आधार पर छोटे सीमांत किसान, भूमिहीन कृषि, श्रमिक, बटाईदार, मछुआरें, पशुपालन, बीड़ी उद्योग, भवन निर्माण में लगे श्रमिक आदि आते हैं।
2. रोजगार का स्वरूप के आधार पर स्वरोजगार संबंध कृषि, श्रमिक बंधुआ मजदूर, प्रवासी, श्रमिक, ठेका और नैमित्तिक श्रमिक आदि आते हैं।
3. अति विपदाग्रस्त श्रेणियां के आधार पर सिर पर मैल ढ़ोने वाले, सिर पर बोझा ढ़ोनें वाले, पशु गाड़ीयाँ चलाने वाले, माल ढुलाई, के काम में लगे श्रमिक आदि आते हैं, और
4. सेवा श्रेणियां के आधार पर दाइयां, घरेलू कामगार, मछुआरें और महिलाएं, नाई, रेहड़ी पर फल और सब्जियां बेचने वाले, अखबार विक्रेता आदि।

"सेवा श्रेणी में भी अधिकांश महिलाएं कम आय वाली नौकरानी तक ही सीमित हैं, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS) 2005 के अनुसार 4.75 मिलियम घरेलू कामगारों में से 60 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं।"

उपयुक्त श्रेणियों में चौथी श्रेणी में आने वाली घरेलू कामगार महिलाओं की कार्यप्रणाली तथा समस्याओं का विस्तृत विवेचन करने का प्रयास इस अध्ययन के अंतर्गत किया गया हैं। घरेलू कामगार से तात्पर्य होता हैं कि कामगार के रूप में दूसरों के घरों में अनेकों कार्य करना, जैसे झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, खाना बनना, कपड़ें धोना, बच्चों और बूढ़ों का देखभाल करना आदि कार्य आते हैं। समाज में महिलाएं कामकाजी तो सदा से रही हैं, बल्कि घरेलू जिंदगी में कोल्हू के बैल की तरह जुटी रहती हैं। हॉ इतना अवश्य हैं कि बाहरी कार्यक्षेत्र में आने से उनके कार्य को महत्व मिला, जो उन्हें घरेलू कार्यों में कतई नही मिलता, बल्कि घरेलू कार्यों को उनका जन्मसिद्ध अधिकार समझा जाता हैं, जिन कार्यों की न तो कभी तारीफें मिलती हैं और न ही उसका कोई मूल्य समझा जाता हैं।

भारत असंगठित क्षेत्र के रोजगारों में घरेलू कामगारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा कार्यरत हैं। जिसमें महिलाओं की संख्या सबसे अधिक हैं यह महिलाएं ज्यादातर शहरी क्षेत्र से देखने को मिलता हैं और इनमें से कुछ प्रवासी महिला भी होती है। किंतु समाज में आज भी इनके कार्यों को कामगार का दर्जा नहीं मिल पाया हैं। अधिकारिता आंकड़ें दर्शातें हैं कि भारत में 4.75 मिलियम घरेलू कामगार महिलाएं हैं, जिसमें से शहरी क्षेत्र में तीन मिलियम महिलाएं हैं।

घरेलू कामगार महिलाएं जो श्रमिक क्षेत्र में एक ऐसा कार्यरत वर्ग हैं, जिनका शोषण समाज में आज भी देखने को मिलता हैं। घरेलू कामगार महिलाएं शिक्षित या कम शिक्षित होने के कारण उन्हें औपचारिक क्षेत्र में नियमित रूप से कार्य नहीं मिलते हैं। जिसके फलस्वरूप यह महिला अपने परिवार की आजीविका से संबंधित मुद्दें के समाधान के लिए दूसरों के घरों में कम वेतन में सुबह से शाम तक लगातार कार्य करती हैं। जिन्हें समाज में नौकरानी शब्द से संबोधित किया जाता हैं। घरेलू कामगार महिलाओं में ज्यादातर आर्थिक

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

व सामाजिक रूप से वंचित समुदाय से संबंधित महिलाऐं होती हैं। इन महिलाओं को अपने जीवन में दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता हैं। यह महिला सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर के कार्यो को संपन्न करती हैं। फिर दूसरों के घरों में कार्य करने के लिए चली जाती हैं। इन महिलाओं का रोजमर्रा जीवन बहुत कठिन एंव सघर्षपूर्ण होता हैं। उन्हें तब कही जाकर माह के अंत में वेतन प्राप्त होती हैं। इनकी दिनचर्या बहुत लंबी व थकान वाली होती हैं, अपितु घरेलू महिलाऐं सुबह से शाम तक लगातार कार्य करते रहने के कारण इनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता हैं तथा वेतन कट जाने के डर से अपने कार्य से 1 दिन की अवकाश भी नहीं लेती हैं। इसके बावजूद समाज और परिवार द्वारा उन्हें और उनके कार्यो को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता हैं।

असंगठित क्षेत्र में लगी घरेलू कामगार, महिलाओं को उनके कार्य में पर्याप्त सुरक्षा नही मिल पाता हैं। ये महिलऐं अक्सर आर्थिक मजबूरी और कौशल की कमी के कारण अपने कार्यस्थल पर अपमानजनक संबोधन, छुआछुत, चोरी का आरोप, वेतन कटौती, शारीरिक एंव मानसिक शोषण का शिकार हो जाती हैं और कभी–कभी तो इनके साथ यौन–उत्पीड़न भी हो जाता हैं। अपितु इतना ही नहीं महिलाओं को उनके कार्य का उचित मेहनताना भी सही समय पर नहीं मिलता हैं।

अक्सर इन महिलाओं के साथ जाति और धर्म का भेदभाव किया जाता हैं। इनके साथ ही इनको परिवारिक हिंसा का भी शिकार होना पड़ता हैं तथा कितनी महिलाओं के पति अपने मजदूरी के पैसे से शराब पी जाते हैं और नशे के हालात में अपने पत्नी के साथ मारपीट भी करते हैं। जिस कारण इन महिलाओं को पूरे घर की जिम्मेदारी भी उठाने पढ़ती हैं। इन महिलाओं के साथ परिवार और समाज द्वारा हिंसा अत्याचार, दुव्यवहार, हीनभावना, सम्मान ना मिलना आदि शिकार आए दिन होती रहती हैं। यह महिलाऐं अपने भविष्य के लिए असुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि इनका कार्य स्थाई प्रकृति की नहीं होती हैं। अपितु राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर सरकारों ने इनके उथान के लिए प्रयास किए और कुछ नियम भी लागू किए हैं। (WIEGo~ Women in Informal Employment: Globalçing and Organçing) की रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू असंगठित कामकाजी महिलाओं के लिए कुछ कदम उठाए गए थे। जिसमें असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (2008) और कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (2013) लागू किया। इसके साथ ही न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित की गई थी।

"अंतराष्ट्रीय स्तर पर, घरेलू काम को "वास्तविक" काम के रूप में मान्यता दी जा रही हैं और घरेलू काम के लिए अंतराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन पर निर्णय लेने के लिए जून 2010 में अंतराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (ILO) में चर्चा होगी। दक्षिण अफ्रीक, ब्राजील, हांगकांग, फिलीपींस, उरूग्वे, माली, स्पेन, फ्रांस, इटली, स्विटजरलैंड जैसे कई देशों में घरेलू श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए श्रम कानून या तंत्र हैं।"

इसके बावजूद इनमें कोई भी अधिनियम जमीनी तौर पर काम करता नजर नहीं आता। घरों में काम करने वाली महिलाओं की संख्या देश में करोड़ों में हैं। अतः इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद घरेलू कामगार महिलाओं के हितों की सुरक्षा के लिए अभी कोई सुधार नहीं हुआ हैं। भारत में अनेक कानूनी प्रावधान हैं, फिर भी घरेलू कामगार महिलाओं के शोषण की प्रक्रिया में कोई सुधार देखने को नहीं मिलता हैं। घरेलू कामगार महिलाआ का आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक एंव मानसिक शोषण निरंतर हो रहा हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का कोई ना सुनने वाला हैं ना ही समस्याओं का समाधान करने वाला हैं।

साहित्य समीक्षा–

1. डॉ. किशोर कुमार (2021), ने अपने अध्ययन "असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् महिलाओं की समस्या एंव भूमिका संघर्षः एक प्रमुख समस्या" में कहा कि कार्यरत महिलाओं को अपने जीवन में दोहरी भूमिका का निर्वाहन करना पड़ता हैं। इसलिए उन्हें संयुक्त परिवार की व्यवस्था को अपनाना चहिए। जिससे उनके बच्चों की सही देखभाल हो सके।
2. लक्ष्मी कुमारी (2021), ने अपने अध्ययन "घरेलू कामगार महिलाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन" में कहा कि कोविड–19 के संक्रमण ने समाज के सभी हिस्से एंव वर्ग को प्रभावित किया हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कामगार महिलाओं के जीवन पर पड़ा। जिस कारण उनकी स्थिति बहुत ही कमजोर हो गयी तथा इस महा संकट ने इनकी मनःस्थिति पर गहरा प्रभाव डाला हैं।
3. डॉ. पिंकी कुमारी, श्री सत्यनारायण सहनी (2019), "भारत में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत घरेलू कामगार महिलाओं के साथ लैंगिक असमानताः एक अध्ययन" में पाया कि भारत में चाहे घरेलू कामगार महिला हो या कामकाजी महिला दोनों ही आर्थिक स्तर पर लैंगिक भेदभाव का शिकार हुई हैं। अतः इस अध्ययन में बताया की रूढ़िवादी, परंपरा सोच, पुरूष प्रधान समाज और शिक्षा का अभाव के कारण महिलाऐं लैंगिक भेदभाव का शिकार हो जाती हैं।
4. राजे उषा एंव गुप्ता महेश वाणिज्य (2019), ने अपने अध्ययन "असंगठित क्षेघ्त्र के श्रमिकों में सामाजिक सुरक्षा प्रबंधन एक अध्ययन" में बताया गया हैं की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में अशिक्षा सबसे बड़ी बाधा हैं तथा श्रमिकों को शिक्षा का महत्व समझना अति आवश्यक हैं।

अध्ययन का उद्देश– प्रस्तुत शोध का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत घरेलू कामगार महिलाओं की समस्यओं का अध्ययन पर आधारित हैं। इस प्रकार अध्ययन के उद्देश निम्नलिखित हैं :

1. असंगठित क्षेत्र के घरेलू कामगार महिलाओं में कार्यरत महिलाओं के कार्य से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना।
2. घरेलू कामगार महिलओं की परिवारिक समस्याओं का अध्ययन करना।
3. घरेलू कामगार महिलाओं का समाज एंव परिवार में स्थान का अध्ययन करना।
4. घरेलू कामगार महिलाओं के संरक्षण हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार की भूमिका का अध्ययन करना।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

शोध पद्धति– प्रस्तुत अध्ययन की प्रकृति में वर्णनात्मक शोध प्रारूप के द्वारा घरेलू कामगार महिलाओं की समस्यों का वर्णन किया जाएगा तथा आकड़ें के संकलन के लिए द्वितीयक तथ्यों हेतु इंटरनेट, पत्र, पत्रिका आदि का प्रयोग किया जाएगा।

शोध का निष्कर्ष– प्रस्तुत शोध पत्र का निष्कर्ष यह हैं कि घरेलू कामगार महिलाओं को अपने जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं। एक कामगार के रूप में अपने जीवन में उन्हें स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, राजनीतिक, आर्थिक, यौन शोषण आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं। ये महिलाऐं अपने जीवन में दोहरी चुनौतियों का सामना करती हैं। ये सुबह उठकर सबसे पहले अपने घरों का कार्य करती, फिर दूसरे के घरों में कार्य करने जाती हैं। यदि महिलाऐं दोनो भूमिकाओं का संतुलन बैठने में असर्मथ होती हैं, तो उनकी निंदा होने लगती हैं, और इनको वेतन भी इतना कम मिलता हैं कि परिवार चलाना मुश्किल हो जाता हैं। यदि इनसे कोई कार्य में छोटे से गलती हो जाती हैं, तो उनको काम से निकाल दिया जाता हैं। उनकी नौकरी भी स्थाई प्रकृति का नही होता हैं। जिस कारण उन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं। इन महिलाओं के जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह हैं। उन्हें अपने अंधिकारों का प्रति जागरूकता का अभाव हैं, जिसके लिए गरीबी मुख्य रूप से जिम्मेदार है, इन महिलाओं के लिए इस बात की अत्यंत आवश्यक हैं कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त हो, किन्तु इसमें शिक्षा का अभाव सबसे बड़ी बाधा हैं। अतः घरेलू कामगार महिलाओं को शिक्षा के महत्व को समझने की आवश्यकता हैं एंव अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की भी अत्यंत आवश्यकता हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कुमार, डॉ. किशोर, (2021), "असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् महिलाओं की समस्या एंव भूमिका संघर्षः एक प्रमुख समस्या"।
2. सूचना बुलेटिन "असंगठित कामगारः मुद्दे और चुनौतियां" लोक सभा सचिवालय शोध एंव सूचना प्रभाग, दिसम्बर 2014
3. http://www.drishias.com/hindi/da
4. http://www.hindi-fiminisminindia-com.cdn.ampproject
5. http://www-ilo-org.ttanslate.goog/newdelhi/areasofwork/WCMS_141187/lang-en/index.htm
6. https://www.amarujala.com/coiumns/opinion/unheard-voice-of=women=workers=hindi
7. कुमारी, लक्ष्मी, (2021), "घरेलू कामगार महिलाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन"
8. कुमारी, डॉ. पिंकी, श्री सत्यनारायण सहनी (2019), "भारत में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत घरेलू कामगार महिलाओं के साथ लैंगिक असमानताः एक अध्ययन"।
9. राजे, उषा एंव गुप्ता, महेश वाणिज्य (2019), "असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में सामाजिक सुरक्षा प्रबंध एक अध्ययन"।

*****